

प्रेसनोट दिनांक 01.06.2022

1. दिनांक 31.05.22 को वादी श्री आशुतोष कुमार पुत्र प्रभात कुमार नि० शारदा पुरम थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अर्तिमान पुत्र प्रभात नि० शारदापुरम थाना को०नगर अयोध्या।आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा निर्माण सामग्री क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 426/22 धारा 323, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 31.05.22 को वादी श्री अभिषेक कुमार पुत्र रामकुमार नि० अधियारी बाग थाना तिवारी पुर गोरखपुर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० एचआर 55ए 4910 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई को टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना तथा इलाज के दौरान घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 201/22 धारा 279, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 31.05.22 को वादी उ०नि० श्री लोकेन्द्र सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि ऋतिक निषाद पुत्र धर्मेन्द्र नि० भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 254/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 31.05.22 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमन निषाद पुत्र अशोक नि० पिपरी थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 256/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 31.05.22 को वादी म०उ०नि० बीना पाण्डेय थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामवृक्ष पुत्र चुन्दल नि० लड़गातर थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 152/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 31.05.22 को वादी उ०नि० श्री रामअवतार राम थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बेचन लाल पुत्र मुन्दर नि० मड़ना थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 02 नफर गिर० अभि० के कब्जे से 50 ली० कच्ची शराब नाजायज व शराब बनाने का उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 201/22 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 31.05.22 को वादी उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हरिनाथ पाण्डेय पुत्र रामप्रताप नि० सवरंभीर थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 03 नफर सभी गिर० अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्ते से जुआ खेलना, मौके से मालफुड व जामातलाशी के 380 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 121/22 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 31.05.22 को वादी उ०नि० श्री मनीष कुमार चतुर्वेदी थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामेश्वर पुत्र माताबदल नि० घोड़ावल थाना कुमारगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 127/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 31.05.22 को वादी श्री शशिकान्त यादव प्र०नि० को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. सद्दाम हुसैन पुत्र एहसान 2. नूर मोहम्मद पुत्र आजाद अली 3. मो०इरफान पुत्र मो० इसहाक नि०गण मोहल्ला नवाब बाजार थाना को०रुदौली अयोध्या। अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का वध व गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित

करना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 217/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 31.05.22 को वादी सुनील कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम नि0 शेखाना थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन से0 यूपी 41 क्यू 3638 का चालक गुलशेर पुत्र अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी को टक्कर मार देना जिससे वादी के भाई का गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 218/22 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 31.05.22 को वादी श्री शशिकान्त यादव प्र0नि0 को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. फरजान पुत्र स्व0 आशिक अली नि0 बरांवा थाना को0रुदौली अयोध्या 2. तैय्यब पुत्र स्व0 अब्दुल अहमद नि0 बदुरांवा थाना बल्दीराय सुल्तानपुर 3. फैयाज पुत्र फरजान अली नि0 बरांवा थाना को0रुदौली अयोध्या अभि0गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का वध व गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 219/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।